न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 05/2014 G.C.M.S. No. 2014/00094 दर्ज दिनांक : 12.02.2014

अपीलार्थिगण:

1. भरतसिंह पुत्र प्रकाशसिंह, उम्र 39 वर्ष करीब, जाति राजपुरोहित, निवासी मादा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. सद्दीक खां पुत्र उमराव खां, उम्र 33 वर्ष करीब, जाति मुसलमान, निवासी सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नेनूदेवी पत्नि मोडारामजी, जाति रेबारी, निवासी सादड़ी, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी, तहसील देसूरी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 56/2012 बअनवान नेनूदेवी बनाम भरतसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.06.2013 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री नवीन कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 14.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 56/2012 बअनवान नेनूदेवी बनाम भरतसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या एक ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी.पी.सी. का विरुद्ध अपीलान्टगण के अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी का वाद अधिनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 73/2012 दिनांक 09.08.2012 को रेस्पोंडेंट व उसके पति के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया व साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थीया के पति मोडा राम द्वारा खरीदसुदा कृषि भूमि रणकपुर रोड़ पर खसरा नम्बर 5463 5465, 5466, 5473, 5474 कुल रकबा 2.94 हैक्टेयर की किस्म

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

नहरी दोयम है, आई हुई हैं। यह कृषि भूमि ईश्वरसिंह निवासी मालारी से खरीद की गई थी जिसमें कुँआ खुदवाया व विद्युत कनेक्शन लिया गया व रहवास हेतु मकान निर्माण करवाया गया जिस पर देवाराम का कभी कब्जा नहीं रहा, रजिस्ट्री में देवाराम का नाम दर्ज है। उक्त सम्पति प्रार्थीया के पति की हैं, देवाराम का कोई हक अधिकार नहीं हैं। जिससे प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीया रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में हैं, जिस प्रस्तुत धारा 212 आर. टी. एक्ट के प्रार्थनापत्र का बाद तामिल अप्रार्थी अपीलान्ट की ओर से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया व कथन किया गया कि रेस्पोंडेन्ट सं. 1 खातेदार नहीं होने से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, रेस्पोंडेन्ट संख्या एक का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या एक के पति खातेदार है जिनका जमाबन्दी में नाम है व स्वयं खातेदार होने के कारण विधि अनुसार पाबन्द नहीं किया जा सकता है, बतौर रजिस्टर्ड दस्तावेज के देवाराम ने उक्त वादग्रस्त भूमि खरीद की हैं, रेस्पोंडेन्ट संख्या एक को किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जिस कारण से उक्त प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का खारिज फरमाया जावें, जिस पर बाद सुनने पक्षकारान की बहस के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2013 को रेस्पोंडेन्ट संख्या एक के पक्ष में स्थगन आदेश पारित कर अपीलान्ट्स के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी कर दिया व जिसे मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया गया। जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर यह स्थिति स्पष्ट प्रकट थीं कि दोनों ही पक्षकार रेकर्डेड खातेदार है एवम उनका अपना अपना अलग–अलग हिस्सा है, काबिज काश्त है तथा उपलब्ध दस्तावेज भी इसी का समर्थन करते हैं। स्वयं अपीलान्ट अप्रार्थी भी इस बाबत प्रस्तुत मूल वाद में इस स्थिति को प्रकट कर चुके हैं, तब केवल मात्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति रहती कि दोनों ही पक्षकार अपने–अपने हिस्से की काबिज काश्त में एक–दूसरे के व्यवधान नहीं डाले व दखलअन्दाजी नहीं करें। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इसके विपरित व परे जाकर मनमाना आदेश पारित कर दिया, जो कि सर्वथा विधि व रेकर्ड के विपरीत है। जब प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज अपने आपमें ही मालिकाना हक कब्जा होने बाबत अधिकार का पूर्ण समर्थन करते हैं, तब न्यायालय हाजा को किसी भी प्रकार का बिना किसी विपरीत अथवा विरोधी दस्तावेज के रेकर्ड पर नहीं होने से स्पष्टतया एकमात्र विकल्प उक्त प्रस्तुत दस्तावेज को मानकर ही जोकि विधिक तरीके से पूर्णतया पंजीबद्ध किया जाकर बकायदा ग्राह्य दस्तावेज है। उक्त तथ्य से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

ने आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेन्ट सं. 1 प्रार्थीया ने किस हैसियत से अपीलाधीन प्रार्थना पत्र पेश किया है, यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है। जबकि अपीलान्ट्स की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम आपत्ति ही यही थीं। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनवानी भाग को देखने मात्र से ही यह अपने आपमें प्रकट है कि बिना अधिकारिता के यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेन्ट संख्या एक न तो वादग्रस्त भूमि की मालिक है, न ही खातेदार है। अर्थात रेस्पोंडेन्ट सं. एक उक्त भूमि में किसी प्रकार का विधिक हित नहीं रखती हैं, बावजूद इसके बिना अधिकारिता धारित किये बिना खातेदार के प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एक रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध स्थगन पारित कर दिया गया जो विधि विरुद्ध है एवम काबिले अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोंडेन्ट संख्या एक खातेदार नहीं हैं, जिस कारण से स्थगन प्राप्त करने की अधिकारिनी नहीं हैं। इसके साथ ही भूमि खरीद के दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वयं देवाराम ने यह भूमि खरीदी हैं। जो कि किसी भी प्रकार से बेनामी होना नहीं कही जा सकती हैं। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि स्वयं देवाराम की खरीदसुदा है, स्वअर्जित सम्पति है तन्हा हक, हकूक मालिकाना अधिकार है व एकमात्र मालिक स्वयं देवाराम ही था जिससे उपरोक्त वादग्रस्त भूमि अन्यत्र बेचाण हस्तान्तरण उपयोग–उपभोग का अधिकार था। जिस तथ्य की ओर अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान ही नहीं दिया, रेस्पोंडेन्ट संख्या एक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रार्थनापत्र में उचित पक्षकारों का संयोजन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र में विधि का यह सुस्थापित नियम है कि किसी भी प्रकार की ऐसी फाईण्डिंग न्यायालय द्वारा नहीं दी जानी चाहिये जिससे कि पारित निर्णय बिना मूलवाद व प्रकरण के निर्णित हुए ही अंतिम निर्णय का रूप ले लें व पक्षकारों के हितों पर विपरीत प्रभाव डाले। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी बिन्दुओं यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का अलग–अलग विवेचन नहीं कर केवल मात्र एक ही पंक्ति में उक्त तीनों बिन्दुओं का उल्लेख कर निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है। कानूनन उक्त तीनों बिन्दुओं का अलग–अलग विवेचन किया जाना व उन पर न्यायालय द्वारा फाईण्डिंग दिया जाना निहायत ही जरुरी व आवश्यक था जिसको नजरअंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वो काबिले अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन पारित आदेश मनमाना हठधर्मिता पूर्वक व मिलीभगत से पारित किया जाना व रेस्पोडेन्ट संख्या एक को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से पारित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। उक्त आदेश दिनांक 21.06.2013 को पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जालोर

Scanned with OKEN Scanner

को नहीं थीं व न ही अपीलान्ट्स को इसकी जानकारी हुई थी। अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को यह कहा था कि प्रत्येक तारीख पेशी पर उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार को आने की व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं रहती है व जब भी आवश्यकता होगी मैं आपको सूचित कर दूंगा, अपीलान्ट सद्दीकखाँ इस बीच काफी लम्बे समय तक बीमार रहने एवम धुमने फिरने की स्थिति में नहीं होने से व ईलाज हेतु बाहर जाने की वजह से अपने ईलाज में व्यस्त रहने के कारण अपने अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं कर सका तथा अपीलान्ट भरत सिंह के खाने कमाने हेतु बाहर चले जाने व विपरित पारिवारिक परिस्थितियों के चलते व्यस्त रहने की वजह से एवं अन्य अपीलान्ट्स से सम्पर्क नहीं होने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं कर सके जिसकारण से अन्दर समयावधि यह अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। हाल ही में दिनांक 04/02/2014 को सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि धारा 212 आर.टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट्स के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित हो गया है जिस पर उन्होने अपने अधिवक्ता से तुरन्त सम्पर्क किया व नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकले प्राप्त की व तत्काल अधिवक्ता से सलाह मशवरा कर पाली आये व तुरन्त यह अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की। जो जानकारी होते ही बिना किसी विलम्ब के तुरन्त यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2013 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को ताफैसला वाद पाबंद किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 12.02.2014 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उक्त आदेश दिनांक 21.06.2013 को पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स को नहीं थीं एवं न ही अपीलान्ट्स को इसकी जानकारी हुई थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को यह कहा था कि प्रत्येक तारीख पेशी पर उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार को आने की व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं रहती हैं व जब भी आवश्यकता होगी मैं आपको सूचित कर दूंगा, अपीलान्ट सद्दीकखां इस बीच काफी लम्बे समय तक बीमार रहने एवम धुमने फिरने की स्थिति में नहीं होने से व ईलाज हेतु बाहर जाने की वजह से अपने ईलाज में व्यस्त रहने के कारण अपने अधिवक्ता से भी सम्पर्क नहीं कर सका तथा अपीलान्ट भरत सिंह के खाने कमाने हेतु बाहर चले जाने व विपरित पारिवारिक परिस्थितियों के चलते व्यस्त रहने की वजह से एवं अन्य अपीलान्ट्स से सम्पर्क नहीं होने से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत नहीं कर सके जिसकारण से अन्दर समयावधि यह अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। हाल ही में दिनांक 04.02.2014 को सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि धारा 212 आर.टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट्स के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित हो गया है जिस पर उन्होने अपने अधिवक्ता से तुरन्त सम्पर्क किया व नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकले प्राप्त की व तत्काल अधिवक्ता से सलाह मशवरा कर पाली आये व तुरन्त यह अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को प्रत्येक पेशी पर नहीं आने की आवश्यकता बाबत कहा गया एवं इसी बीच अपीलांट काफी लंबे समय से बीमार रहने व घुमने–फिरने की अवस्था में नहीं रहने एवं इलाज हेतु बाहर जाने के कारण व्यस्त रहने से अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका। हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना अपेक्षित है। साथ ही विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से कारित होना साबित नहीं हैं। अतः प्रकरण में उदार रूख अपनाते हुए विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पति की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। जिसके बंटवाड़ें बाबत वादपत्र जैरकार है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजीयात के उपयोग–उपभोग, कब्जेकाश्त तथा मकान–कुएं आदि के उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी नहीं करने व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया गया। अविभाजित आराजीयात के संबंध में विशिष्ट भू–भाग उपयोग–उपभोग व कब्जेकाश्त आदि के संबंध में मूल वाद में ही निर्णयन संभव है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के स्तर पर इस संबंध में कोई टिप्पणी या निर्णयन विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। जबकि प्रार्थिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात की अभिलिखित सहखातेदार नहीं हैं।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के प्रकरणों में आवश्यक व अपेक्षित तीनों महत्वपूर्ण बिंदुओं यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का विवेचन किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो समर्थन योग्य नहीं हैं।
6. अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 56/2012 बअनवान नेनूदेवी बनाम भरतसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 21.06.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner